



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092024-256979
CG-DL-E-07092024-256979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3508]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2024/भाद्र 15, 1946

No. 3508]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2024/BHADRA 15, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 3838(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1956(E) तारीख 08/05/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-92 के कि.मी. 30.000 से कि.मी. 57.346 (कर्ी से इटावा खण्ड) को ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर परियोजना (जीएनएचसीपी) के अन्तर्गत निर्माण/चौड़ीकरण (दो/चार लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिये उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन "17.05.2024" को नव भारत टाइम्स" (हिन्दी) और "टाइम्स ऑफ इंडिया" (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग - 92 के कि.मी. 30.000 से कि.मी. 57.346 (कर्री से इटावा खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित अतिरिक्त भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: इटावा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: इटावा					
गांव का नाम: बहादुरपुर लुहिया					
1	1189	निजी	कृषि	0.0065	कलावती उर्फ रेशमा देवी पत्नी विद्याराम व ज्ञानसिंह व नौरतन पुत्रगण विद्याराम व पंचीलाल व रामसेवक पुत्रगण जोधालाल व रामबेटी पत्नी स्व० सिध्याराम व सर्वेश कुमार व मोहनलाल पुत्रगण सिध्याराम व होरीलाल पुत्र जोधालाल व बाल किशन व बबलू पुत्रगण होरीलाल व श्रीमती विमला देवी पत्नी अरविन्द कुमार व श्रीमती रिहाना बेगम पत्नी कामिल व श्रीमती इमराना पत्नी नसीम व श्रीमती शमीम पुत्र मुहम्मद इरशाद व अंजू पत्नी अतुल कुमार

2	1191	निजी	कृषि	0.005	बदन सिंह पुत्र रामभरोसे
3	1205	निजी	कृषि	0.0198	प्रेमप्रकाश उर्फ छोटेला पुत्र विद्याराम व महादेवी पत्नी स्व.विद्याराम व मुकेश कुमार पुत्र विद्याराम
4	245	निजी	कृषि	0.1015	अवधेश कुमार व प्रदीप व रामकिशोर पुत्रगण वालिस्टर व सूरजमुखी पत्नी रत्नेश कुमार व अमित कुमार व मोहित कुमार व रितिक कुमार पुत्रगण रत्नेश कुमार व विमलेश कुमार व राजेश कुमार व दीपेश कुमार पुत्रगण कृष्णगोपाल व उमेश चन्द्र पुत्र जगतनरायन व राजेन्द्री देवी पत्नी स्व.जगतनरायन व विनोद कुमार व अवधेश कुमार व धर्मेन्द्र कुमार व सर्वेश कुमार पुत्रगण मुलायम सिंह व विशुना देवी पत्नी मुलायम सिंह व गायत्री पत्नी राजनरायन
5	246	निजी	कृषि	0.0315	तुलसीराम पुत्र लल्लू व बृजमोहन पुत्र रामेश्वर दयाल व भारत सिंह पुत्र सूबेदार व राजकुमारी पत्नी स्व.रामेश्वर दयाल व रामदेवी पत्नी स्व.सूबेदार व देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र विष्णुदयाल
6	247	निजी	कृषि	0.028	लाल सिंह व मान सिंह व ज्ञान सिंह व बीरेन्द्र सिंह व ध्रुव सिंह व सत्यवीर सिंह पुत्रगण

					बांकिलाल
7	248	निजी	कृषि	0.013	जितेन्द्र कुमार व सुनील कुमार पुत्रगण राधेश्याम व रामकिशोरी उर्फ किशोरी देवी पत्नी स्व.राधेश्याम व विनय कुमार नाबालिग 12वर्ष पुत्र राधेश्याम सरंक्षक रामकिशोरी
8	742	निजी	कृषि	0.027	कमलेश कुमार व महेन्द्र सिंह व रनवीर सिंह व वेदप्रकाश व सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण बच्चनलाल
9	743	निजी	कृषि	0.0075	रामशरन पुत्र विद्याराम व श्रीवती पत्नी रामनरेश व कौशल कुमार व राधा रमन व हर्षवर्धन पुत्रगण रामनरेश
10	969	निजी	कृषि	0.01	अनोज कुमार नाबालिग 17 वर्ष पुत्र नानकचन्द्र सरंक्षक मुन्नीदेवी व मुन्नी देवी पत्नी स्व. नानकचन्द्र व सनोज कुमार व मनोज कुमार पुत्रगण नानकचन्द्र
11	970	निजी	कृषि	0.0196	मुन्नीदेवी पत्नी स्व.नानक चन्द्र व रामकैलाश पुत्र छोटेला
12	973	निजी	कृषि	0.0145	देवीदयाल पुत्र मुकट सिंह
13	975	निजी	कृषि	0.0298	भोलनश्री पत्नी कृष्णमुरारी व मिथलेश कुमारी पत्नी सत्यराम सिंह व लालखां पुत्र दिलावर खां
14	977	निजी	कृषि	0.0102	रामगोपाल पुत्र भजनलाल व बेचेलाल

					पुत्र गंगा सिंह
Total				0.3239	

[फ़ा. सं. PIU-MoRT&H/FRK/NH-92-I/LA/2020-21/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 3838(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1956(E) Dated:08/05/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.) Maintenance, management and operation of NH-92 in the stretch of land from Km. 30.00 to Km. 57.346 (Near Karri Village to Etawah section) in the district of ETAWAH in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Navbharat Times” (Hindi) and “Times of India” (English) both dated **17.05.2024**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the Additional land to be acquired, with or without structures, falling NH-92 in the stretch of land from Km. 30.000 to Km. 57.346 (Near Karri Village to Etawah Section) in the district of ETAWAH in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: ETAWAH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Etawah					
Village: Bahadurpur Luhiya					
1	1189	Private	Agriculture	0.0065	Kalavati Urf Reshma Devi Wife Vidyaram and Gyan Singh and Nauratan Son Vidyaram and Panchilal and Ramsevak Son Jodhalal and Ram

					daughter Wife Late Sidhyaram and Sarvesh Kumar and Mohanlal Son Sidhyaram and Horilal Son Jodhalal and Bal Kishan and Bablu Son Horilal and Smt Vimala Devi Wife Arvind Kumar and Mrs Rihanna Begum Wife Kamil and Mrs Imrana Wife Naseem and Mrs Shamim Son Muhammad Irshad and Anju Wife Atul Kumar
2	1191	Private	Agriculture	0.005	Badan Singh Son Rambharose
3	1205	Private	Agriculture	0.0198	Prem Prakash Urf Chhotelal Son Vidya Ram and Mahadevi Wife late Vidya Ram and Mukesh Kumar Son Vidya Ram
4	245	Private	Agriculture	0.1015	Awadhesh Kumar, Pradeep, Ramkishore Son Wallister and Surajmukhi Wife Ratnesh Kumar and Amit Kumar and Mohit Kumar and Hrithik Kumar Son Ratnesh Kumar and Vimlesh Kumar and Rajesh Kumar and Deepesh Kumar Son Krishnagopal and Umesh Chandra son Jagatnarayan and Rajendri Devi Wife late Jagatnarayan and Vinod Kumar and Awadhesh Kumar and Dharmendra Kumar and Sarvesh Kumar Son Mulayam Singh and Vishuna Devi Wife Mulayam Singh and Gayatri Wife Rajnarayan
5	246	Private	Agriculture	0.0315	Tulsiram Son Lallu and Brijmohan Son Rameshwar Dayal and Bharat Singh Son Subedar and Rajkumari Wife late

					Rameshwar Dayal and Ramdevi wife late Subedar and Devendra Pratap Singh Son Vishnu Dayal
6	247	Private	Agriculture	0.028	Lal Singh and Man Singh and Gyan Singh and Birendra Singh and Dhruv Singh and Satyaveer Singh Sons Bankelal
7	248	Private	Agriculture	0.013	Jitendra Kumar and Sunil Kumar Son Radheshyam and Ramkishori Urf Kishori Devi Wife late Radheshyam and Vinay Kumar Minor 12 years Son Radheshyam guardian Ramkishori
8	742	Private	Agriculture	0.027	Kamlesh Kumar and Mahendra Singh and Ranveer Singh and Vedprakash and Surendra Singh Son Bachchanlal
9	743	Private	Agriculture	0.0075	Ramsharan Son Vidyaram and Srivati Wife Ramnaresh and Kaushal Kumar and Radha Raman and Harshbardhan Sons Ramnaresh
10	969	Private	Agriculture	0.01	Anoj Kumar minor 17 years son Nanakchandra guardian Munnidevi wife late Nanakchandra and Sanoj Kumar and Manoj Kumar Son Nanakchandra
11	970	Private	Agriculture	0.0196	Munnidevi Wife late Nanak Chandra and Ramkailash Son Chhotalal
12	973	Private	Agriculture	0.0145	Devidayal Son Mukat Singh
13	975	Private	Agriculture	0.0298	Bholanshri Wife Krishna Murari and Mithlesh Kumari Wife Satyaram Singh

					and Lal Khan Son Dilawar Khan
14	977	Private	Agriculture	0.0102	Ramgopal Son Bhajanlal and Bechelal son Ganga
Total				0.3239	

[F. No. PIU-MoRT&H/FRK/NH-92-I/LA/2020-21/3D]

ABHAY JAIN, Director